न्यायालय–समाहर्त्ता, रोहतास (सासाराम)

आपूर्ति अपील सं0– 03/2016

मुन्नी पासवान बनाम बिहार सरकार

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश फलक आ0 .....से .....

जिला – रोहतास .....नं0– 03 सन् 2016

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17.11.17	यह अपील आपूर्ति वाद सं0– 02/2016 में अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम द्वारा ग्राम पंचायत रायपुर चोर प्रखण्ड– शिवसागर के जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति सं0– 47/2007 के रद्दीकरण आदेश दिनांक 19.01.2016 (ज्ञापांक 62/आ0, दिनांक 19.01.16) के विरूद्ध प्रेषित किया गया है। क्लावती कुँवर निवासी, ग्राम– सेमरी नागी के शिकायत पत्र पर दिनांक 10.12.15 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, शिवसागर एवं कोचस द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित दुकान का जॉच किया गया। जॉच के क्रम में कलावती कुँवर का बयान लिया गया जिन्होंने कहा कि उसके अंत्योदय कार्ड के निस्वत अब तक कूपन नहीं मिला है इसलिए दुकानदार खाद्यान्न नहीं दे रहा है। अन्य उपभोक्ताओं का भी बयान लिया गया। जॉच में सामग्री वितरण में अनियमितता पाई गई, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न देना जबरन कूपन ले लेना, बिना आपूर्ति किए कार्ड में प्रविष्टि कर देना पाया गया। मूल्य–सह– भंडार तालिका प्रदर्शित नहीं था। दिनांक 19.12.16 को जिलास्तरीय जॉच दल द्वारा भी औचक निरीक्षण किया गया और उपर्युक्त आरोपों को जॉच दल द्वारा दुहराया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने ज्ञापांक 03/आ0, दिनांक 07.01.16 द्वारा कारण–पृच्छा की मॉग किया गया था। अपीलार्थी ने अपने कारण–पृच्छा दिनांक 13.01.2016 में कहा है कि बोर्ड टंगा था तथा सुबह आठ बजे खल्ली से बोर्ड संधारित भी किया था। बितरण में व्यस्त था हो सकता है बोर्ड पर लिखा कोई लड़का मिटा दिया हो। सरकारी द्वारा निर्धारित मूल्य पर निर्धारित मात्रा में ही आपूर्ति किया जाता है। दुकान प्रत्येक दिन खुला रहता है। जो	

उपभोक्ता उठाव नहीं कर पाता है वह अगले माह में उस माह के साथ उठाव करता है। एक माह का अनाज देकर दो माह की प्रविष्टि नहीं करता हूँ। रायपुरचोर एक जागरूक गॉव है। गलत करने पर लोग हाथ पैर तोड़ देंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी ने ज्ञापांक 293/आ0, दिनांक 10.12.15 द्वारा बिंदूवार स्पष्टीकरण की मॉग अपीलार्थी से किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 30.12.15 को प्रेषित बिंदूवार स्पष्टीकरण में कहा है कि मौखिक आरोप लगा देना ही पर्याप्त नहीं है। कोई भी राशन कार्ड नहीं प्रस्तुत किया गया है। बिना किसी दस्तावेज के ऐसा आरोप लगाना बहुत ही सहज है। कलावती कुँवर का नाम पीला कार्डधारक (अंत्योदय योजना) की सूची में नहीं है। इस संबंधमें जॉच दल ने अपने प्रतिवेदन में एक शब्द भी नहीं कहा है। उलटे दूसरे बिंदू पर प्रतिवेदन देकर अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास किए है। पीला कार्डधारक की सूची मुखिया, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं ग्राम सेवक बनाते हैं। दिसंबर, 2015 के किरासन तेल का उठाव नहीं किया गया था और न ही लाभुकों के कार्ड पर उस दिन तक उसका वितरण ही दिखाया गया था। इन्हीं कथनों के साथ स्पष्टीकरण स्वीकार कर ज्ञापांक की जवाबदेही से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी ने अपने अपील आधार पत्र में कहा है कि आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्य दोनों से त्रुटिपूर्ण है। आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं Control Act के प्रावधानों के विपरीत है। आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। स्पष्टीकरण कैसे संतोषजनक नहीं है इसका वर्णन आक्षेपित आदेश में नहीं है। इन्हीं आधारों पर आक्षेपित आदेश निरस्त कर अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि उसके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किए तथा अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना मात्र आरोपों के आधार पर एकतरफा आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोप गंभिर है और ऐसा व्यक्ति अनुज्ञप्ति धारित करने योग्य नहीं हो सकता।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों के विवेचना किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने कारण–पृच्छा प्राप्त

होने के बाद अपीलार्थी को अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में अपील के गुण–दोष पर बिना विचार किए इस निदेश के साथ निम्न न्यायालय को यह वाद वापस किया जाता है कि अपीलार्थी को अपने बचाव में पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देते हुए पूर्व के आदेश से बिना प्रभावित हुए प्रत्येक आरोप पर स्पष्ट मंतव्य के साथ युक्तियुक्त, मुखरित एवं विधिसम्मत आदेश पारित करें।

इन्हीं टिप्पणियों के साथ अपील निस्तारित किया जाता है। आदेश की एक प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, रोहतास, (सासाराम)।	समाहर्त्ता, रोहतास, (सासाराम)।

ज्ञापांक 1653 / विधि, दिनांक 19.05.18

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम को उनके पत्रांक-333 दिनांक-30/4/16 से प्राप्त मौजा अभिलेख का मूल अभिलेख संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला एवं सूचना विज्ञान पदाधिकारी रोहतास को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/18

उप समाहर्त्ता विधि, रोहतास।